संख्या-159/2021/590क/23-14-2021-62आ0पू0वि0नि0/2018

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
प्रतापगढ़, बलरामपुर, भदोही, गोण्डा,
फतेहपुर, एवं बहराइच ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 25 मार्च, 2021**

विषय- पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जनपद-प्रतापगढ़, बलरामपुर, भदोही, गोण्डा, फतेहपुर, एवं बहराइच की 12 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ का पत्र संख्या-927/2सी/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2020-21, दिनांक 09.03.2021, मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर का पत्र संख्या-460/पू0वि0नि0(राज्यांश), दिनांक 22.02.2021 एवं पत्र संख्या-1713/पू0वि0नि0(राज्यांश), दिनांक 23.09.2020, मुख्य विकास अधिकारी, भदोही का पत्र संख्या-636/पू0वि0नि0, दिनांक 12.03.2021, मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा के पत्र संख्या-2185/1सी, दिनांक 30.08.2019, पत्र संख्या-799/1सी, दिनांक 16.03.2021, मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर के पत्र संख्या-2198/सी-20पू0वि0नि0(राज्यांश)/2020-21, दिनांक 08.12.2020, मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच के पत्र संख्या-750/पू0वि0नि0(राज्यांश)सामान्य/ए0सी0पी0/2020-21/प्रा0ख0,लो0नि0वि0, दिनांक 09.03.2021, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त जनपदों की परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-प्रतापगढ़, बलरामपुर, भदोही, गोण्डा, फतेहपुर, एवं बहराइच की 12 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अगली/अंतिम किस्त के रूप में कुल धनराशि रू0 5,14,36,000.00 (रूपये पांच करोड़ चौदह लाख छत्तीस हजार मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजना का विवरण निम्नवत् है-

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/ जनपद	शासनादेश संख्या व दिनांक	लम्बाई (कि0मी0)	प्रशासकीय स्वीकृति	कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि का आवंटन
1	2		3	4	5	6
1	गहरौली इसलामिया स्कूल से अमेठी बार्डर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। **जनपद-प्रतापगढ़**	65/2018/334/23-14-2018-53आ0पू0वि0नि0/2017, दिनांक 27.03.2018	1.80	96.47	67.52	28.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	मंगरौरा मेन रोड से चमराकुण्ड सम्पर्क मार्ग। **जनपद-प्रतापगढ़**	122/2018/329/ 23-14-2018-45आ0पू0वि0नि 0/2017, दिनांक 31.03.2018	2.00	98.47	68.91	29.66
3	चिरैंया होते हुए कोठार मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	53/2019/113/2 3-14-2019-67आ0पू0वि0नि 0/2018, दिनांक 07.02.2019	2.50	172.03	137.62	34.41
4	नन्दननगर भयाडिहवा राजाजोत सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	2.00	135.80	108.64	27.16
5	सादुल्ला नगर गौरा चैकी मार्ग पर ग्राम सभा फातमाजोत से हतवा बरईडीह सम्पर्क मार्ग एवं यू टाईप नाली का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	30/2016/113/2 3-14-2016-119आ0पू0वि0 नि0/2015, दिनांक 05.03.2016	0.86	54.55	5.45	49.10
6	सादुल्लानगर गौरा चैकी मार्ग पर ग्राम मररदहवा सम्पर्क मार्ग एवं यू टाईप नाली का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	0.82	53.35	5.33	48.02
7	बगहिया से रसूलपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य एवं यू0टाईप नाली का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	2.50	162.64	16.26	50.00
8	बभनौटी एल0डी0 रोड से पचवल होते हुए योगेश तिवारी के मकान से ब्राम्हण तिवारी बस्ती तक मार्ग निर्माण। **जनपद-भदोही**	140/2019/239/ 23-14-2019-62आ0पू0वि0नि 0/2018, दिनांक 10.03.2019	1.65	75.55	16.11	59.44
9	धमरैया मार्ग पर अहिरनपुरवा से बक्सौला तक निर्माण कार्य। **जनपद-गोण्डा**	210/2015/429/ 23-14-2015-134आ0पू0वि0 नि0/14, दिनांक 10.03.2015	2.00	144.86	74.5958	50.00
10	सुकईपुरवा बन्धा से खैरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गोण्डा**	41/2016/78/23 -14-2016-101आ0पू0वि0 नि0/15, दिनांक 16.03.2016	3.20	202.03	141.40	60.63
11	आजमपुर गढ़वा से भगौनापुर मार्ग से मकरन्दपुर मोड़ (मिसिंग) सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य। **जनपद-फतेहपुर**	142/2019/241/ 23-14-2019-25आ0पू0वि0नि 0/2018, दिनांक 10.03.2019	3.70	160.38	41.00	50.00
12	शाहपुर से बढ़ईपुरवा तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। **जनपद-बहराइच**	14/2019/1331/ 23-14-2018-34आ0पू0वि0नि 0/2018, दिनांक 11.01.2019	2.50	134.87	107.88	26.99
		योग	**25.53**	**1491.00**	**790.7158**	**514.36**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

4- परियोजना का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबदध ढंग से पूर्ण कराये जायॅ। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

5- उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए आप उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे ।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-159/2021/590क(1)/23-14-2021-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- समस्त क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in